संख्या–282/XLI-1/2014–5/14

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2014

विषयः– राजकीय पॉलीटेक्निक काशीपुर में छात्रों के छात्रावास की मरम्मत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–664/नि0प्रा0शि0/प्लान छः–117/2013–14, दिनांक 30.12.2013 एवं संख्या–871/नि0प्रा0शि0/प्लान–छै–117/2013–14, दिनांक 25.03.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजकीय पॉलीटेक्निक काशीपुर में छात्रों के छात्रावास की मरम्मत हेतु उ0प्र0राजकी निर्माण निगम लि0 हल्द्वानी इकाई द्वारा गठित आगणन ₹81.39 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत/अनुमोदित आगणन सिविल कार्य हेतु ₹59.60 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹11.19 लाख अर्थात कुल ₹70.79 लाख (रूपये सत्तर लाख उन्नासी हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये, शासनादेश संख्या–1035/XLI-1/13–40/2013 टी0सी0, दिनांक 04.12.2013 के द्वारा आयोजनागत पक्षान्तर्गत 29–अनुरक्षण मद में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि ₹300.00 लाख में से ₹70.79 लाख की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(1) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

(8) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुये भवन विभाग को

क्रमशः 2.....

हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब की दशा मे आंगणन पुनरीक्षित पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. उक्तगत कार्य हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन की एक प्रति आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-396(P)/XXVII(3)/2013-14 दिनॉक 28 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, श्रीनगर/काशीपुर।
5. अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 हल्द्वानी इकाई।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर।
7. वित्त अनुभाग-3
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
उप सचिव।